BBK

بنك البحرين والكويت

बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी.

(Incorporated in Bahrain with Limited Liability)

मुंबई : जॉली मेकर चेबर्स , 225; नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021.
हैदराबाद : 6 3 550, आकाशगंगा, मेडीनोवा के पास, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500 082

केवल बैंक के प्रयोग के लिए

खाता सं.

द्वारा प्रविष्ट

दि.

संवर्ग

द्वारा सत्यापित

द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (ऑ)

1. खाता खोलने का फॉर्म

(व्यक्तिगत/स्वामित्ववाले) कृपया अपेक्षित खाते के प्रकार को (✓) करें ।

खाते का प्रकार

- बचत खाता ☐
- चालू ☐
- सावधि जमा साधारण ☐
- सावधि जमा पुनर्निवेश ☐
- फ्लेक्सी जमा ☐
- आवर्ती जमा ☐
- एडवांटेज प्लस ☐
- अन्य ☐

सावधि जमा के लिए कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें।

राशि ________ अवधि वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐

स्वतः नवीकरण ☐ हॉं ☐ नही (उसी अवधि हेतु नवीकरण)

परिपक्वता भुगतान खाता सं. ________

ब्याज़ भूगतान : खाता सं. ________

आवर्ती जमा मासिक किस्त रु. ________ अवधि वर्ष ☐ माह ☐

आवर्ती जमा किस्त के लिए खाता सं. ________

परिचालन का प्रकार

- ( ) एकल रूप से
- ( ) संयुक्त रूप से
- ( ) दो में से एक या उत्तरजीवी
- ( ) पहला या उत्तरजीवी
- ( ) कोई एक या उत्तरजीवी
- ( ) मुख्तारनामा
- ( ) अन्य

क. पूरा नाम (प्रथम आवेदक)

☐ श्री ☐ श्रीमती ☐ सुश्री (स्पष्ट अक्षरों में आइडी सबूत के अनुसार)

जन्मदिनाक दिन माह वर्ष

पिता / पति का नाम ________

पता (आवास) ________

________ लैडमार्क ________

कार्यालय ________

________ लैडमार्क

कोड सहित टेलीफोन ________

ई मेल ________

किस पते पर पत्राचार किया जाए आवास ☐ कार्यालय

पीएएन अथवा फॉर्म 60/61 (अवयस्क के खाते के मामले मे अभिभावक के ब्यौरे)

ख. पूरा नाम (द्वितीय आवेदक)

(स्पष्ट अक्षरो में आइडी सबूत के अनुसार)

पिता / पति का नाम ________

पता (आवास) ________

____

कार्यालय ________

____

कोड सहित टेलीफोन ________ (आवास)

ई मेल ________

किस पते पर पत्राचार किया जाए आवास ☐ कार्यालय

पीएएन अथवा फॉर्म 60/61 (अवयस्क के खाते के मामले मे अभिभावक के ब्यौरे)

ग. पूरा नाम (तृतीय आवेदक)

(स्पष्ट अक्षरो में आइडी सबूत के अनुसार)

पिता / पति का नाम ________

पता (आवास) ________

____

कार्यालय ________

____

कोड सहित टेलीफोन ________ (आवास)

ई मेल ________

किस पते पर पत्राचार किया जाए आवास ☐ कार्यालय

पीएएन अथवा फॉर्म 60/61 (अवयस्क के खाते के मामले मे अभिभावक के ब्यौरे)

अवयस्क का खाता

अवयस्क का नाम ....

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (कुल नाम)

माता_पिता/नैसर्गिक अभिभावक का नाम : ....

मै एतदद्वारा यह घोषित करता हूं कि ऊपर उल्लिखित अवयस्क, जो मेरा/मेरी है, का जन्म दिनाक * है और मै उसका / उसकी नैसर्गिक और कानूनी अभिभावक हूं / दि के आदेश (प्रतिलिपि सलग्न) द्वारा न्यायालय की और से नियुक्त अभिभावक हूं।

मै उक्त खाते के किसी भी प्रकार के, भविष्य के सभी लेनदेनो मे उक्त अवयस्क का तब तक प्रतिनिधित्व करुगा/करुगी जब तक वह वयस्क नही हो जाता/जाती।

उक्त अवयस्क के खाते मे मुझसे किए गए किसी आहरणो / लेनदेनो के लिए उक्त अवयस्क के दावे पर मै बैक ऑफ बहारिन एड कुवेत **को क्षतिपूर्ति का वचन देता/देती हूँ।**

*** दिनांक का सबूत संलग्न है ।**

अभिभावक के हस्ताक्षर

2. प्रारंभिक जमा और खाता सेवा संबंधी ब्यौरे

भुगतान नकद ☐ चेक सं. ☐☐☐☐☐☐☐ दिनांक ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ राशि ....

______________________ बैक ______________________ शाखा पर आहरित, खाता सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ मेरे / हमारे मौजूदा खाते मै नामे डाले खाता सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **(चेक की प्रति बैंक के पास रखी जाएगी।)**

जमा राशि ☐☐☐☐☐☐☐

क्या आप इन सुविधा का लाभ उठाना चाहेंगे ☐ एटीएम कार्ड ☐ नेट बैकिंग ☐ **मोबाइल बैंकिंग** ☐ एसएमएस एलर्ट

पासबुक अथवा बैक विवरण कैसे भेजा जाए ☐ कूरियर से ☐ दस्ती सुपुर्दगी से ☐ ईमेल आइडी ______________________

माासिक ☐ तिमाही ☐

3. घोषणा

मैंने / हमने बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी. में खाता खोलने से संबंधित शर्तों (जिनकी प्रति मेरे /हमारे पास है) और एटीएम/मोबाइल बैंकिंग / फोन बैंकिंग / नेट बैंकिंग सहित परंतु इन तक ही सीमित नहीं, विभिन्न सेवाओं से संबंधित शर्तों को पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है मैं / हम उक्त शर्तों तथा बैंक की देयताओं को छोड़ने/सीमित करने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं और वे मुझपर/हमपर बाध्य हैं मैं समझता हूँ / हम समझते हैं कि बैंक अपने पूर्ण विवेकानुसार मुझे/हमें बिना कोई नोटिस दिये किसी भी सेवा को पूर्णत या अशतः समाप्त कर सकता है मैं / हम इससे सहमत हूँ / हैं कि बैंक समय-समय पर यथालागू सेवा प्रभारों के लिए मेरे / हमारे खाते से राशि नामे डाल सकता है मैं/हम भारत के निवासी हूँ/हैं इसके अलावा, प्रभारों की मौजूदा सूची मुझे/हमें प्राप्त हुई है और मैं/हम उससे सहमत हूँ/हैं।

प्रथम आवेदक फोटोग्राफ चिपकाकर उसपर हस्ताक्षर करे	द्वितीय आवेदक फोटोग्राफ चिपकाकर उसपर हस्ताक्षर करे	तृतीय आवेदक फोटोग्राफ चिपकाकर उसपर हस्ताक्षर करे
क. नाम ______________	ख. नाम ______________	ग. नाम ______________
क हस्ताक्षर	ख हस्ताक्षर	ग हस्ताक्षर
इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये	**इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये**	**इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये**

परिचय / पहचान के ब्यौरे

क. यदि आवेदक पहले से ही शाखा का / के ग्राहक है/है तो कृपया **खाता संख्या बताएं।**

ख. परिचयकर्ता का नाम तथा पता ____

____

ग. परिचयकर्ता का खाता सं.

* मै प्रमाणित करता / करती हूँ कि मै श्री/श्रीमती/कु./सुश्री ____
को पिछले ________ महीने / __________ वर्ष से जानता / जानती हूँ तथा खाता खोलते समय उसने / उन्होने अपने आवेदन मे दिये व्यवसाय तथा पते की पुष्टि करता / करती हूँ

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर

फोटो पहचान तथा आवास सबूत के लिए निम्नलिखित सूची में से कोई एक दस्तावेज़

वैयक्तिक पहचान

1. **पासपोर्ट**
2. **पैन कार्ड**
3. **वाहन चलाने का स्थायी लाइसेन्स**
4. **सिविल आइडी कार्ड**
5. **प्रतिष्ठित नियोक्ता से जारी आइ कार्ड**

आवास का प्रमाण

1. बैक खाते का अद्यतन विवरण (6 महीने से अधिक पुराना न हो)
2. अद्यतन वेतन पर्ची (नियोक्ता द्वारा प्रमाणित, नियोक्ता के पते सहित)
3. **अद्यतन आय / संपति कर निर्धारण आदेश**
4. बिजली का अद्यतन बिल/टेलीफोन बिल (6 महीने से अधिक पुराना न हो)
5. **वैध विज़ा की प्रतिलिपि (अनिवार्य)**

अनिवार्य दस्तावेज पैन कार्ड/फॉर्म 60, फोटो, आवास प्रमाण, पहचान प्रमाण

नामन ☐ आवश्यक ☐ आवश्यक नहीं (यदि आवश्यक नहीं तो कृपया निचले फॉर्मेट पर हस्ताक्षर करें।)

नामन फॉर्म डीए 1
बैककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 45 यक तथा बैक जमाराशियो के मामले मै बैंकिग कपनी (नामन) नियमावली, 1985 के नियम **2(1) के अधीन नामन**

मै/हम निम्नलिखित व्यक्तियो को प्राधिकृत करता हूँ / करते है, जिन्हे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे बैक ऑफ बहारिन एड कुवेत बी एस सी शाखा द्वारा उक्त खाते की जमाराशि लौटाई जाए । ....

जमाराशि के ब्यौरे

जमाराशि का स्वरूप और विशिष्ट संख्या	अतिरिक्त ब्यौरे, यदि कोई हो		पता	जमाकर्ता के साथ रिश्ता, यदि कोई हो		यदि नामिती अवयस्क है तो उसका जन्मदिनांक

*** जमाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर या अंगूठे का(के) निशान**

-- नाम --

हस्ताक्षर *** --

गवाह का(के) पता (पते) -- **गवाह का(के) पता (पते)** --

-- --

* जहा जमाराशि अवयस्क के नाम है, वहाँ नामन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना जरूरी है जो अवयस्क की तरफ से कार्य करने हेतु कानूनी तौर पर हकदार है ।

**** यदि नामिती अवयस्क नहीं है तो काट दे ।**

***** अंगूठे के निशान दो गवाहों द्वारा साक्ष्यंकित होने चाहिए ।**

-- (यहाँ काटे) --

प्रप्तिसूचना

हमे के नाम हमारे पास रखे खाता स ....
के सबध मे फॉर्म डीए 1 मे नामन प्राप्त हुआ सदर्भ स पजीकरण का दिनाक ....

बैंक अधिकारी __________ मुहर / सील

ग्राहक प्रोफाइल फॉर्म (व्यक्तिगत / स्वामित्व के लिए)
सूचना पत्रक

शाखा का नाम : ____________________ शाखा कोड : ____________________

ग्राहक आइडी ____________________ खाता प्रबंधक : ____________________

ग्राहक का नाम : ____________________ खाते का प्रकार : ____________________

अ. व्यवसाय

☐ कारोबार ☐ सनदी लेखाकार ☐ परामर्शदाता ☐ डॉक्टर ☐ इंजिनीयर

☐ होम मेकर ☐ सूचना प्रौद्योगिकी ☐ वकील ☐ वेतनभोगी ☐ स्व-नियोजित

☐ व्यापारी ☐ छात्र ☐ अन्य ....

आ. शैक्षिक अर्हताएं

☐ नॉन मैट्रिक ☐ स्नातक/स्नातकोत्तर (सामान्य) ☐ स्नातक / स्नातकोत्तर (व्यावसायिक)

☐ दसवीं/बारहवीं/एसएससी/एचएससी ☐ अँडर ग्रैज्युएट ☐ पीएच.डी ☐ अन्य

इ. निधियों का स्रोत

☐ वेतन ☐ कारोबार ☐ निवेश ☐ उपहार ☐ व्यावसायिक शुल्क ☐ अन्य

ई. मासिक आय

☐ रू. 10,000 तक ☐ रू.10,001 से रू.25,000 तक ☐ रू.25,001 से रू.50,000 तक ☐ रू.50,001 से रू. 1,00,000 तक ☐ रू. 1,00,000 से ऊपर

उ. अनुमानित निवल संपति

रूपये ....

ऊ. स्वामित्व वाले के खाते के मामले में कुल वार्षिक लेनदेन

☐ रू. 5 लाख तक ☐ रू. 5 लाख से रू. 25 लाख तक ☐ रू.25 लाख से रू. 1 कोटी तक ☐ रू.1 कोटी से ऊपर

कारोबार / उद्योग का प्रकार कृपया ब्यौरे दें। ____________________

ए. अन्य बैंको के साथ व्यवहार

☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ

क. बैंक तथा शाखा का नाम ____________________

ख. खाते का प्रकार / सुविधाएं ____________________

ऐ.प्रस्तावित खाते के लेनदेनों का ब्यौरा

खाता खोलने का प्रयोजन ____________________

एक महीने में लेनदेन का अनुमानित मूल्य रू. ☐

एक महीने में लेनदेनों की संख्या ☐

एक महीने में नकद लेनदेनों का मूल्य रू. ☐

एक महीने में नकद लेनदेनों की संख्या ☐

____
बैंक के अधिकारी
जिनकी उपस्थिति में फॉर्म प्राप्त किया

____
ग्राहक के हस्ताक्षर

BBK
بنك البحرين والكويت
बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी.
(Incorporated in Bahrain with Limited Liability)
मुंबई : जॉली मेकर चेंबर्स , 225, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021. फोन. 022-22823698 ई-मेल : mumbai@bbkindia.com
हैदराबाद : 6 3 550, आकाशगंगा, मेडीनोवा के पास, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद 500 082. फोन : 040-23398219/20 ई-मेल : hyderabad@bbkindia.com

जमा खाता नियम

बैक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी. परिवार मे आपका हार्दिक स्वागत है ।

आप जैसे सम्माननीय ग्राहक हमारी शान है आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी देकर हमारे पास खाता खोलने के लिए आवश्यक औपचारिकताओ को पूरा करने मे आपसे मिले पूरे संहयोग के लिए हम आपके आभारी है आपके हितो की रक्षा करने और अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देशो के विनियामक पालन की पूर्ति करने के लिए आपसे यह जानकारी हासिल की जा रही है हम आपको आश्वासन देते है कि यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी ।

कृपया सुलभ संदर्भ के लिए जमा संबंधी हमारे निम्नलिखित नियम देखे ।

<u>बचत खाता / चालू खाता</u>

1. बचत खाते मे 1000/- रू. और चालू खाते मे 10,000/- रू. न्यूनतम शेषराशि आवश्यक है खाते मे न्यूनतम राशि न होने पर निर्धारित प्रभार लगाये जाएंगे
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर अथवा एक से अधिक व्यक्तियो के नाम पर खाता खोला जा सकता है और वह खाता खोलने से संबंधित फॉर्म मे परिचालन की पद्धति के तहत निहिंत अनुरोध के अनुसार होगा ।
3. अवयस्क की ओर से अभिभावक इस शर्त पर खाता खोल सकते है कि अवयस्क वयस्क हो जाने पर उक्त जमा का विधिवत आहरण कर सकता है
4. एकमेव स्वामित्ववाली संस्था सहित कारोबारी अथवा व्यापारी संस्था को बचत खाता खोलने की अनुमति नही है, चाहे उनका गठन किसी भी तरह का क्यो न हो
5. धर्मादा अथवा शैक्षिक संस्थाएं बचत खाता खोल सकती है यदि वे कारोबार अथवा व्यापारी कार्यकलापो से न जुडी हो ।
6. बचत खाते पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज़ मिलेगा (भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो के अनुसार) ब्याज़ की राशि 1/- रू. से कम होने पर ब्याज़ नही दिया जाएगा
7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो के अधीन बचत खाते पर ब्याज़ की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी ।
8. बचत खाते पर ब्याज़ की गणना अप्रैल से सितंबर तक और अक्तूबर से मार्च तक के छह महीनो की अवधि के लिए की जाएगी और ब्याज़ हर वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को खाते मे जमा किया जाएगा यह निर्धारण इस उद्देश्य से किया है कि 30 सितंबर और 31 मार्च को बैंक की छमाही लेखांबदी के प्रयोंजन के लिए ब्याज़ लागू करना आसान हो सके
9. केवल खाताधारको के नाम (नामो) पर आहरित चेक / डिविडंड वारंट खाते के जरिए वसूल किये जाएंगे ग्राहक अपने ही हित मे ऐसे चेक बैंक मे जमा करने के पहले रेखांकित करें
10. बचत और चालू खाते के लिए चेक बुक सुविधा उपलब्ध है जमाकर्ता को मांग पर अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से वैध लॉगिन के प्रयोग पर चेक बुक जारी किया जाएगा
11. चेक बुक, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम कार्ड और ग्राहक द्वारा जोखिम और परिणाम स्वीकार किये जाने पर कूरियर / डाक द्वारा भेजे जाएंगे इनके प्रेषण के संबंध मे किसी बात के लिए बैक किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा यदि उक्त सामग्री पर्याप्त समय, अर्थात अनुरोध करने के बाद पंद्रह दिन, के भीतर प्राप्त नही होती तो ग्राहक की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना संबंधित शाखा प्रबंधक को दे ।
12. किसी कैलेंडर अर्ध वर्ष के दौरान बचत खाते से आहरणो, चाहे वह चेक द्वारा हो या अन्यथा, की कुल संख्या 50 से अधिक नही होनी चाहिए इस सीमा से अधिक प्रत्येक आहरण के लिए बैक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार लिया जाएगा जमाराशि के अतिरिक्त आहरण उचित मामलो मे अथवा प्रत्येक मामले की गुणवता के बारे मे संतुष्ट हो जाने पर बैंक द्वारा उसके विवेक पर अनुमत होगे ।
13. यदि छमाही के मध्य मे बचत खाता खोला जाता है तो अनुमत आहरणो की संख्या (देखे उक्त नियम 10) की गणना समानुपात पर की जाएगी
14. यदि आहरणो की संख्या अनुमत सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रत्येक अधिक आहरण के लिए बैंक के नियमानुसार सेवा प्रभार लिया जाएगा
15. यदि खाता खोलने के बाद वह छह महीने के भीतर बंद किया जाता है तो बैंक के नियमानुसार प्रासंगिक शुल्क काट लिया जाएगा
16. इन खातो मे 50000/- रू. और उससे अधिक की राशि जमा करते समय पीएएन/फॉर्म 60 प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
17. ग्राहक के खाते से नकद आहरण आयकर प्राधिकारियो से विनिर्दिष्ट दरो के अनुसार बैंकिंग नकद आहरण कर (बीसीटीटी) के अधीन है
18. बाद वाली किसी असुविधा को टालने की दृष्टि से ग्राहक को चाहिए कि वह छह महीने मे कम से कम एक बार अपना खाता परिचालित करे जो खाते लंबी अवधि के लिए परिचालित नही किए जाते उन्हे जमाकर्ता तथा बैंक दोनो के हित मे निष्क्रिय खाते की श्रेणी मे रखा जाएगा निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के लिए बैंक की ओर से यदि कोई प्रभार लगाये जाते है तो उसकी सूचना जमाकर्ता को दी जाएगी जमाकर्ता संबंधित खाते को परिचालन हेतु सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण द्वारा बैंक से अनुरोध कर सकता है
19. खाते मे जमा शेष की राशि के बराबर की राशि के अथवा उससे अधिक राशियो के आहरण को अस्वीकार किया जाएगा निधियो के अभाव मे चेक अस्वीकार होने की स्थिति मे प्रत्येक अस्वीकृति के लिए जमाकर्ता से बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभार वसूल किये जाएंगे साथ ही बैंक के पास यह अधिकार है कि वह जमाकर्ता को नोटिस दिए बगैर ऐसे खातो को बंद कर दे ।
20. ग्राहक को चाहिए कि वह निधियो की पर्याप्त व्यवस्था के बगैर चेक जारी करना टाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत नकारे गए चेक के लिए कानूनी कारवाई भी की जा सकती है और बार-बार चेक लौटाये जाने पर नया चेक बुक जारी न करने और / या खाते को बंद कर देने जैसी कारवाई भी बैंक कर सकता है
21. चेक इस प्रकार जारी किए जाने चाहिए कि उसे जारी किए जाने के बाद उसमे कोई अनधिकृत परिवर्तन/परिवर्धन न किया जा सके चेक पर राशि अक्षरो और आंकड़ो दोनो मे लिखनी होगी लिखावट सुस्पष्ट और पठनीय हो चेक लेखन मे यदि कोई परिवर्तन हो तो आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से वे अधिप्रमाणित होने चाहिए अन्यथा चेक/आहरण सूचना की अदायगी नही की जाएगी ।
22. ग्राहक के पक्ष मे पृष्ठांकित अन्य पक्ष के चेक खाते की वसूली/खाते मे जमा के लिए नही स्वीकारे जाएंगे ।
23. यदि वसूल न किए प्रभारो के कारण संबंधित खाता ३ माह या उससे अधिक के लिए अतिआहरित रहता है तो खाते को बंद किया जाएगा और उसकी अग्रिम सूचना देने के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा ।
24. जब भी कभी खाता बंद किया जाता है, तो खाताधारक की यह जिम्मेदारी है कि उपयोग मे न लाये गये चेक अभ्यर्पित करे ऐसे लिखत खो जाने के कारण ग्राहक को यदि कोई हानि उठानी पड़ती है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
25. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे खाता धारको मे से किसी एक से परिचालन रोकने के अनुदेश प्राप्त होना बैंक को उसपर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नोटिस के रूप मे माना जाएगा आगे के परिचालन सभी खाता धारको से नये अनुदेश प्राप्त होने पर अनुमत होगे
26. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे खाता बंद करने के अनुदेश पर सभी खाता धारको के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
27. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे, संयुक्त खाता धारको मे से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी / उत्तरजीवियो द्वारा खाते का परिचालन अनुमत होगा ।
28. किसी भी कारण से उत्पन्न आपको देय किसी ओवरड्राफ्ट अथवा ऋण के उत्तरदायी होने से हम सहमत है और इस प्रकार बैंक से मांग की जाने पर हमसे देय किसी राशि की चुकौती तथा लागू दर पर उसपर उपचित ब्याज़ की तत्**काल अदायगी करने से हम सहमत हैं।**

بنك البحرين والكويت
बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी.
(Incorporated in Bahrain with Limited Liability)

जमा खाता नियम

जारी........

सावधि जमाराशियाँ

1. सावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज़ का अन्य बैंक के खाते मे विप्रेषण करने के लिए बैंक के नियमानुसार सेवा प्रभार लिये जांएंगे।
2. सावधि जमाराशियो पर सामान्यतः ऋण/ओवरड्राफ्ट अनुमत है भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशो के आधार पर, ऐसे ऋणो पर बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दरों पर ब्याज़ लिया जाएगा।
3. जमाराशि पर बैंक का सर्वोपरि ग्रहणाधिकार है और बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी रूप मे बैंक के प्रति जमाकर्ता के किसी वित्तीय दायित्व के लिए ऐसी राशियो का विनियोजन किया जाएगा।
4. यदि परिपक्वता की तारीख के बाद १५ दिन के भीतर जमाराशि का नवीकरण किया जाता है तो अतिदेय मीयादी जमाराशि पर ब्याज़ अदा किया जाएगा
5. परिपक्वता मूल्य/आंशिक आहरण कराधान विधियो के उपबंध के अधीन होगा और आगे का ब्याज़ टीडीएस की कटौती के बाद निवल राशि पर अदा किया जाएगा
6. जमाकर्ता, अधिमानतः वित्तीय वर्ष के प्रारंभ मे, कर की कटौती के बगैर जमाराशि पर ब्याज़ प्राप्त करने के लिए फॉर्म सं. 15 एच/15 जी मे घोषणापत्र प्रस्तुत कर सकते है
7. बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार वरिष्ठ नागरिको को अतिरिक्त ब्याज़ अदा किया जाएगा जिन जमाराशियो को अतिरिक्त ब्याज़ादर का लाभ मिल रहा है वे जमाराशियां वाणिज्य प्रयोजन हेतु ऋण लेने के लिए जमानत के रूप मे गिरवी नही रखी जा सकती।
8. ग्राहक के अनुरोध पर, जमा की गई राशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए बैंक उसपर देय ब्याज़ सहित, अनुमति दे सकता है ऐसे मामले मे ब्याज़ की अदायगी बैंक के पास जिस अवधि के लिए जमाराशि रखी गई थी उस अवधि के लिए लागू उचित दर अथवा संविदागत दर, इसमे से जो भी कम हो, पर की जाएगी 30 दिन से कम अवधि के लिए बैंक के पास रही जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण पर कोई ब्याज़ नही दिया जाएगा।
9. जमाराशि के अवधिपूर्व आहरणो पर दंडात्मक ब्याज़ लगाया जाएगा।
10. दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी या हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवियो या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे परिपक्वता के बाद जमा संबंधी मूल सूचना प्रस्तुत करने पर खाता धारक को पास होनेवाली राशि बैंक को वैध रूप से जारी कर सकेगा यदि जमा संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है तो दो मे से किसी एक द्वारा औपचारिक दावा किया जाना पर्याप्त है और ऐसे पहले अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।
11. दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी या हममे से कोई अथवा उत्तरजीवियो या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण/जमा संबंधी सूचना की अनुलिपि जारी करने / ऋण की मंजूरी के लिए अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब सभी जमाराशिधारको से लिखित अनुरोध प्राप्त होगा
12. जमाकर्ता(ओ) की मृत्यू हो जाने की स्थिति मे नामिती/कानूनी वारिसो को मीयादी जमाराशि की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते दावाकर्ता संतोषजनक दस्तावेज़ प्रस्तुत करे इस प्रकार के अवधिपूर्व आहरण पर कोई दंडात्मक ब्याज़ नही लगाया जाएगा।
13. परिपक्वता की तारीख से पहले संयुक्त धारको मे से किसी की मृत्यू हो जाने की स्थिति मे उत्तरजीवी(वियो) के अनुरोध पर, यद्यपि अनिवार्य नही है बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि (क) वह उक्त जमा खाता किसी अन्य बैंक मे अंतरित करे या (ख) ऐसी शर्तो पर, जो बैंक निर्धारित करे, भुगतान वापस करे; या (ग) परिपक्वता के पहले जमाराशि की अदायगी या (घ) जमाराशि संबंधी सूचना की जमानत पर परिपक्वता के पहले, उत्तरजीवी(वियो) को अग्रिम ऋण और उत्तरजीवी(वियो) द्वारा दी गयी दायित्वमुक्ति से बैंक विधिवत् मुक्त होगा
14. ग्राहक आवर्ती जमा खाते मे सहमत राशि हर माह के अंतिम कार्यदिवस को या उसके पहले जमा करेंगे संविदा के अनुसार, निर्धारित किस्तें जमा करने के बाद और निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद की नियत तारीख को खाताधारक को परिपक्वता राशि प्राप्त होगी।
15. यदि खाता धारक निर्धारित समय पर किस्ते जमा नही करता तो प्रचलित नियमो के अनुसार बैंक उससे दंडात्मक प्रभार वसूल करेगा

सामान्य शर्तें

1. बैंक से आशय ह बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी. - भारतीय परिचलन।
2. पते मे हुए परिवर्तन की सूचना बैंक को लिखित रूप मे पते के प्रमाण के साथ तत्काल दी जानी चाहिए।
3. बैंक के मतानुसार यदि खाते का परिचालन असंतोषजनक पाया जाता है तो वह खाता बंद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट लिया जाएगा
4. इन शर्तो मे से किसी भी शर्ते का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित खाता बंद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट किया जाएगा
5. किसी भी समय इन शर्तो मे परिवर्तन करने अथवा नयी शर्ते जोड़ने का अधिकार बैंक के पास है।
6. इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम से संबंधित शर्ते अलग से उपलब्ध है।
7. व्यक्तिगत रूप से खोले गए सभी जमा खातो पर नामन सुविधा उपलब्ध है पूर्णतः स्वामित्ववाली संस्था के खाते पर भी नामन सुविधा उपलब्ध है केवल एक व्यक्ति के पक्ष मे ही नामन किया जा सकता है इस प्रकार किये नये नामन खाता धारक किसी भी समय रद्द कर सकते है या उसमे परिवर्तन कर सकते है नामन करते समय, उसे रद्द या परिवर्तित करते समय किसी अन्य पार्टी द्वारा उसका साक्ष्यंकन होना आवश्यक है खाता धारक(को) की सम्मति से नामन आशोधित किया जा सकता है अवयस्क के मामले मे भी नामन किया जा सकता है यह नोट किया जाए कि मीयादी जमाराशियो के मामले मे प्रत्येक जमाराशि के लिए अलग नामन होना चाहिए किसी एक जमाराशि के लिए किया गया नामन उस नामिती को अन्य जमाराशियो के लिए अपने आप ही नामिती नही बना देता।

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर

	प्रथम आवेदक	**द्वितीय आवेदक**	तृतीय आवेदक
स्थान			
दिनाक			

बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी.
(Incorporated in Bahrain with Limited Liability)
मुंबई : जॉली मेकर चेंबर्स, 225, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021. फोन. 022-22823698 ई-मेल : mumbai@bbkindia.com
हैदराबाद : 6-3-550, आकाशगंगा, मेडीनोवा के पास, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद - 500 082. फोन : 040-23398219/20 ई-मेल : hyderabad@bbkindia.com

जमा खाता नियम

बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी. परिवार मे आपका हार्दिक स्वागत है।

आप जैसे सम्माननीय ग्राहक हमारी शान है आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी देकर हमारे पास खाता खोलने के लिए आवश्यक औपचरिकताओ को पूरा करने मे आपसे मिले पूरे संहयोग के लिए हम आपके आभारी है आपके हितो की रक्षा करने और अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देशो के विनियामक पालन की पूर्ति करने के लिए आपसे यह जानकारी हासिल की जा रही है हम आपको आश्वासन देते है कि यह जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

कृपया सुलभ संदर्भ के लिए जमा संबंधी हमारे मिम्नलिखित नियम देखे।

बचत खाता / चालू खाता

1. बचत खाते मे 1000/- रू. और चालू खाते मे 10,000/- रू. न्यूनतम शेषराशि आवश्यक है खाते मे न्यूनतम राशि न होने पर निर्धारित प्रभार लगाये जाएंगे
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर अथवा एक से अधिक व्यक्तियो के नाम पर खाता खोला जा सकता है और वह खाता खोलने से संबंधित फॉर्म मे परिचालन की पद्धति के तहत निहिंत अनुरोध के अनुसार होगा।
3. अवयस्क की ओर से अभिभावक इस शर्त पर खाता खोल सकते है कि अवयस्क वयस्क हो जाने पर उक्त जमा का विधिवत आहरण कर सकता है
4. एकमेव स्वामित्ववाली संस्था सहित कारोबारी अथवा व्यापारी संस्था को बचत खाता खोलने की अनुमति नही है, चाहे उनका गठन किसी भी तरह का क्यो न हो
5. धर्मादा अथवा शैक्षिक संस्थाएं बचत खाता खोल सकती है यदि वे कारोबार अथवा व्यापारी कार्यकलापो से न जुडी हो।
6. बचत खाते पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज़ मिलेगा (भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो के अनुसार) ब्याज़ की राशि 1/- रू. से कम होने पर ब्याज़ नही दिया जाएगा
7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो के अधीन बचत खाते पर ब्याज़ की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी।
8. बचत खाते पर ब्याज़ की गणना अप्रैल से सितंबर तक और अक्तूबर से मार्च तक के छह महीनो की अवधि के लिए की जाएगी और ब्याज़ हर वर्ष 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल को खाते मे जमा किया जाएगा यह निर्धारण इस उद्देश्य से किया है कि 30 सितंबर और 31 मार्च को बैंक की छमाही लेखांबदी के प्रयोंजन के लिए ब्याज़ लागू करना आसान हो सके
9. केवल खाताधारको के नाम (नामो) पर आहरित चेक / डिविडंड वारंट खाते के जरिए वसूल किये जाएंगे ग्राहक अपने ही हित मे ऐसे चेक बैंक मे जमा करने के पहले रेखांकित करें
10. बचत और चालू खाते के लिए चेक बुक सुविधा उपलब्ध है जमाकर्ता को मांग पर अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से वैध लॉगिन के प्रयोग पर चेक बुक जारी किया जाएगा
11. चेक बुक, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम कार्ड और ग्राहक द्वारा जोखिम और परिणाम स्वीकार किये जाने पर कूरियर / डाक द्वारा भेजे जाएंगे इनके प्रेषण के संबंध मे किसी बात के लिए बैंक किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा यदि उक्त सामग्री पर्याप्त समय, अर्थात अनुरोध करने के बाद पंद्रह दिन, के भीतर प्राप्त नही होती तो ग्राहक की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना संबंधित शाखा प्रबंधक को दे।
12. किसी कैलेंडर अर्ध वर्ष के दौरान बचत खाते से आहरणो, चाहे वह चेक द्वारा हो या अन्यथा, की कुल संख्या 50 से अधिक नही होनी चाहिए इस सीमा से अधिक प्रत्येक आहरण के लिए बैंक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार लिया जाएगा जमाराशि के अतिरिक्त आहरण उचित मामलो मे अथवा प्रत्येक मामले की गुणवता के बारे मे संतुष्ट हो जाने पर बैंक द्वारा उसके विवेक पर अनुमत होगे।
13. यदि छमाही के मध्य मे बचत खाता खोला जाता है तो अनुमत आहरणो की संख्या (देखे उक्त नियम 10) की गणना समानुपात पर की जाएगी
14. यदि आहरणो की संख्या अनुमत सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रत्येक अधिक आहरण के लिए बैंक के नियमानुसार सेवा प्रभार लिया जाएगा
15. यदि खाता खोलने के बाद वह छह महीने के भीतर बंद किया जाता है तो बैंक के नियमानुसार प्रासंगिक शुल्क काट लिया जाएगा
16. इन खातो मे 50000/- रू. और उससे अधिक की राशि जमा करते समय पीएएन/फॉर्म 60 प्रस्तुत करना आवश्यक है।
17. ग्राहक के खाते से नकद आहरण आयकर प्राधिकारियो से विनिर्दिष्ट दरो के अनुसार बैंकिंग नकद आहरण कर (बीसीटीटी) के अधीन है
18. बाद वाली किसी असुविधा को टालने की दृष्टि से ग्राहक को चाहिए कि वह छह महीने मे कम से कम एक बार अपना खाता परिचालित करे जो खाते लंबी अवधि के लिए परिचालित नही किए जाते उन्हे जमाकर्ता तथा बैंक दोनो के हित मे निष्क्रिय खाते की श्रेणी मे रखा जाएगा निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के लिए बैंक की ओर से यदि कोई प्रभार लगाये जाते है तो उसकी सूचना जमाकर्ता को दी जाएगी जमाकर्ता संबंधित खाते को परिचालन हेतु सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजो के प्रस्तुतीकरण द्वारा बैंक से अनुरोध कर सकता है
19. खाते मे जमा शेष की राशि के बराबर की राशि के अथवा उससे अधिक राशियो के आहरण को अस्वीकार किया जाएगा निधियो के अभाव मे चेक अस्वीकार होने की स्थिति मे प्रत्येक अस्वीकृति के लिए जमाकर्ता से बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रभार वसूल किये जाएंगे साथ ही बैंक के पास यह अधिकार है कि वह जमाकर्ता को नोटिस दिए बगैर ऐसे खातो को बंद कर दे।
20. ग्राहक को चाहिए कि वह निधियो की पर्याप्त व्यवस्था के बगैर चेक जारी करना टाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत नकारे गए चेक के लिए कानूनी कारवाई भी की जा सकती है और बार-बार चेक लौटाये जाने पर नया चेक बुक जारी न करने और / या खाते को बंद कर देने जैसी कारवाई भी बैंक कर सकता है
21. चेक इस प्रकार जारी किए जाने चाहिए कि उसे जारी किए जाने के बाद उसमे कोई अनधिकृत परिवर्तन/परिवर्धन न किया जा सके चेक पर राशि अक्षरो और आंकडो दोनो मे लिखनी होगी लिखावट सुस्पष्ट और पठनीय हो चेक लेखन मे यदि कोई परिवर्तन हो तो आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से वे अधिप्रमाणित होने चाहिए अन्यथा चेक/आहरण सूचना की अदायगी नही की जाएगी।
22. ग्राहक के पक्ष मे पृष्ठांकित अन्य पक्ष के चेक खाते की वसूली/खाते मे जमा के लिए नही स्वीकारे जाएंगे।
23. यदि वसूल न किए प्रभारो के कारण संबंधित खाता ३ माह या उससे अधिक के लिए अतिआहरित रहता है तो खाते को बंद किया जाएगा और उसकी अग्रिम सूचना देने के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा।
24. जब भी कभी खाता बंद किया जाता है, तो खाताधारक की यह जिम्मेदारी है कि उपयोग मे न लाये गये चेक अभ्यर्पित करे ऐसे लिखत खो जाने के कारण ग्राहक को यदि कोई हानि उठानी पड़ती है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी नही होगा।
25. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे खाता धारको मे से किसी एक से परिचालन रोकने के अनुदेश प्राप्त होना बैंक को उसपर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नोटिस के रूप मे माना जाएगा आगे के परिचालन सभी खाता धारकों से नये अनुदेश प्राप्त होने पर अनुमत होगे
26. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे खाता बंद करने के अनुदेश पर सभी खाता धारको के हस्ताक्षर होने चाहिए।
27. 'दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी' या 'हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे, संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी / उत्तरजीवियो द्वारा खाते का परिचालन अनुमत होगा।
28. किसी भी कारण से उत्पन्न आपको देय किसी ओवरड्राफ्ट अथवा ऋण के उत्तरदायी होने से हम सहमत है और इस प्रकार बैंक से मांग की जामे पर हमसे देय किसी राशि की चुकौती तथा लागू दर पर उसपर उपचित ब्याज़ की तत्**काल अदायगी करने से हम सहमत हैं।**

BBK

بنك البحرين والكويت

बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी.

(Incorporated in Bahrain with Limited Liability)

जमा खाता नियम

जारी........

सावधि जमाराशियाँ

1. सावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज़ का अन्य बैंक के खाते मे विप्रेषण करने के लिए बैंक के नियमानुसार सेवा प्रभार लिये जांएंगे
2. सावधि जमाराशियो पर सामान्यतः ऋण/ओवरड्राफ्ट अनुमत है भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशो के आधार पर, ऐसे ऋणो पर बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दरों पर ब्याज़ लिया जाएगा
3. जमाराशि पर बैंक का सर्वोपरि ग्रहणाधिकार है और बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी रूप मे बैंक के प्रति जमाकर्ता के किसी वित्तीय दायित्व के लिए ऐसी राशियो का विनियोजन किया जाएगा
4. यदि परिपक्वता की तारीख के बाद १५ दिन के भीतर जमाराशि का नवीकरण किया जाता है तो अतिदेय मीयादी जमाराशि पर ब्याज़ अदा किया जाएगा
5. परिपक्वता मूल्य/आंशिक आहरण कराधान विधियो के उपबंध के अधीन होगा और आगे का ब्याज़ टीडीएस की कटौती के बाद निवल राशि पर अदा किया जाएगा
6. जमाकर्ता, अधिमानतः वित्तीय वर्ष के प्रारंभ मे, कर की कटौती के बगैर जमाराशि पर ब्याज़ प्राप्त करने के लिए फॉर्म सं. 15 एच/15 जी मे घोषणापत्र प्रस्तुत कर सकते है
7. बैंक की मौजूदा नीति के अनुसार वरिष्ठ नागरिको को अतिरिक्त ब्याज़ अदा किया जाएगा जिन जमाराशियो को अतिरिक्त ब्याज़ादर का लाभ मिल रहा है वे जमाराशियां वाणिज्य प्रयोजन हेतु ऋण लेने के लिए जमानत के रूप मे गिरवी नही रखी जा सकती
8. ग्राहक के अनुरोध पर, जमा की गई राशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए बैंक उसपर देय ब्याज़ सहित, अनुमति दे सकता है ऐसे मामले मे ब्याज़ की अदायगी बैंक के पास जिस अवधि के लिए जमाराशि रखी गई थी उस अवधि के लिए लागू उचित दर अथवा संविदागत दर, इसमे से जो भी कम हो, पर की जाएगी 30 दिन से कम अवधि के लिए बैंक के पास रही जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण पर कोई ब्याज़ नही दिया जाएगा
9. जमाराशि के अवधिपूर्व आहरणो पर दंडात्मक ब्याज़ लगाया जाएगा
10. दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी या हममे से कोई एक अथवा उत्तरजीवियो या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे परिपक्वता के बाद जमा संबंधी मूल सूचना प्रस्तुत करने पर खाता धारक को पास होनेवाली राशि बैंक को वैध रूप से जारी कर सकेगा यदि जमा संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है तो दो मे से किसी एक द्वारा औपचारिक दावा किया जाना पर्याप्त है और ऐसे पहले अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा
11. दो मे से एक अथवा उत्तरजीवी या हममे से कोई अथवा उत्तरजीवियो या उत्तरजीवी के आदेश वाले संयुक्त खातो के मामले मे जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण/जमा संबंधी सूचना की अनुलिपि जारी करने / ऋण की मंजूरी के लिए अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब सभी जमाराशिधारको से लिखित अनुरोध प्राप्त होगा
12. जमाकर्ता(ओ) की मृत्यू हो जाने की स्थिति मे नामिती/कानूनी वारिसो को मीयादी जमाराशि की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते दावाकर्ता संतोषजनक दस्तावेज़ प्रस्तुत करे इस प्रकार के अवधिपूर्व आहरण पर कोई दंडात्मक ब्याज़ नही लगाया जाएगा
13. परिपक्वता की तारीख से पहले संयुक्त धारको मे से किसी की मृत्यू हो जाने की स्थिति मे उत्तरजीवी(वियो) के अनुरोध पर, यद्यपि अनिवार्य नही है बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि (क) वह उक्त जमा खाता किसी अन्य बैंक मे अंतरित करे या (ख) ऐसी शर्तो पर, जो बैंक निर्धारित करे, भुगतान वापस करे; या (ग) परिपक्वता के पहले जमाराशि की अदायगी या (घ) जमाराशि संबंधी सूचना की जमानत पर परिपक्वता के पहले, उत्तरजीवी(वियो) को अग्रिम ऋण और उत्तरजीवी(वियो) द्वारा दी गयी दायित्वमुक्ति से बैंक विधिवत् मुक्त होगा
14. ग्राहक आवर्ती जमा खाते मे सहमत राशि हर माह के अंतिम कार्यदिवस को या उसके पहले जमा करेगे संविदा के अनुसार, निर्धारित किस्ते जमा करने के बाद और निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद की नियत तारीख को खाताधारक को परिपक्वता राशि प्राप्त होगी
15. यदि खाता धारक निर्धारित समय पर किस्ते जमा नही करता तो प्रचलित नियमो के अनुसार बैंक उससे दंडात्मक प्रभार वसूल करेगा

सामान्य शर्तें

1. बैंक से आशय ह बैंक ऑफ बहारिन एंड कुवेत बी.एस.सी. - भारतीय परिचलन
2. पते मे हुए परिवर्तन की सूचना बैंक को लिखित रूप मे पते के प्रमाण के साथ तत्काल दी जानी चाहिए
3. बैंक के मतानुसार यदि खाते का परिचालन असंतोषजनक पाया जाता है तो वह खाता बंद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट लिया जाएगा
4. इन शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित खाता बंद किया जाएगा और सेवा प्रभार काट लिया जाएगा
5. किसी भी समय इन शर्तो मे परिवर्तन करने अथवा नयी शर्ते जोड़ने का अधिकार बैंक के पास है
6. इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम से संबंधित शर्ते अलग से उपलब्ध है
7. व्यक्तिगत रूप से खोले गए सभी जमा खातो पर नामन सुविधा उपलब्ध है पूर्णतः स्वामित्ववाली संस्था के खाते पर भी नामन सुविधा उपलब्ध है केवल एक व्यक्ति के पक्ष मे ही नामन किया जा सकता है इस प्रकार किये नये नामन खाता धारक किसी भी समय रद्द कर सकते है या उसमे परिवर्तन कर सकते है नामन करते समय, उसे रद्द या परिवर्तित करते समय किसी अन्य पार्टी द्वारा उसका साक्ष्यंकन होना आवश्यक है खाता धारक(को) की सम्मति से नामन आशोधित किया जा सकता है अवयस्क के मामले मे भी नामन किया जा सकता हैं यह नोट किया जाए कि मीयादी जमाराशियो के मामले मे प्रत्येक जमाराशि के लिए अलग नामन होना चाहिए किसी एक जमाराशि के लिए किया गया नामन उस नामिती को अन्य जमाराशियो के लिए अपने आप ही नामिती नही बना देता